

18.02.2025 –अखिल भारतीय



भारतीय जीवन बीमा निगम ने "एलआईसी की स्मार्ट पेंशन प्लान (योजना संख्या 879)" का शुभारंभ किया

एलआईसी की स्मार्ट पेंशन प्लान का शुभारंभ वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव श्री एम. नागराजू के कर-कमलों से दिनांक 18.02.2025 को नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के डॉ. एम पी तन्निराला, अपर सचिव और श्री प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव के साथ-साथ एलआईसी के सीईओ एवं एमडी श्री सिद्धार्थ महान्ति और एलआईसी के अन्य प्रबंध निदेशक भी मौजूद थे। एलआईसी की स्मार्ट पेंशन प्लान एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत/समूह, बचत और तत्काल वार्षिकी प्लान है जो एकल जीवन के साथ-साथ संयुक्त जीवन प्रकार की वार्षिकी के लिए कई प्रकार के वार्षिकी विकल्प प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएं:

- एकल प्रीमियम, तत्काल वार्षिकी योजना
- ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है
- प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और प्रवेश के समय अधिकतम आयु वार्षिकी विकल्प के अनुसार 65 से 100 वर्ष तक भिन्न होती है
- एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की सुविधा
- उन्नत वार्षिकी दर के माध्यम से मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए इन्सेन्टिव्ह

- पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आंशिक/पूर्ण निकासी के लिए कई तरलता विकल्प उपलब्ध हैं
- न्यूनतम खरीद मूल्य 1,00,000/- रुपये है तथा उच्च खरीद मूल्य के लिए इन्सेन्टिव्ह शामिल हैं
- वार्षिकी भुगतान के स्वीकार्य तरीके: वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक हैं। वार्षिकी भुगतान के चुने गए तरीके के अनुसार वार्षिकी किस्त की गणना की जाएगी।
- एनपीएस सब्सक्राइबर द्वारा तत्काल वार्षिकी लेने का एक विशेष विकल्प है
- इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के जीवन के लाभ के लिए प्लान लेने का विकल्प उपलब्ध है
- प्लान को www.licindia.in से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है
- पॉलिसी ऋण, पॉलिसी जारी होने के तीन महीने बाद (अर्थात पॉलिसी जारी करने की तारीख से 3 महीने) या फ्री लूक अवधि की समाप्ति के बाद, निर्दिष्ट वार्षिकी विकल्पों के तहत, जो भी बाद में हो, अनुमत किया जाएगा।

हितलाभ

वार्षिककर्ता के जीवित रहने पर: - वार्षिककर्ता के जीवित रहने पर उपलब्ध विकल्प उसके द्वारा आरंभ में चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुसार भिन्न होते हैं।

वार्षिककर्ता की मृत्यु पर (प्राथमिक / द्वितीयक - जैसा भी मामला हो):- वार्षिककर्ता की मृत्यु के बाद देय राशि प्रस्ताव के समय वार्षिककर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार होगी।

मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए चुने गए विकल्प एकमुश्त या मृत्यु लाभ का वार्षिकीकरण या किस्तों में या तरलता विकल्प या अग्रिम वार्षिकी विकल्प या वार्षिकी संचय विकल्प हो सकते हैं।

इस योजना को एजेंट/विपणन के अन्य माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदा जा सकता है जिसमें पॉइंट ऑफ़ सेल्स पर्सन-लाइफ़ इंश्योरेंस (POSP-LI)/ कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (CPSC-SPV) शामिल हैं और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

मुंबई में 18 फरवरी, 2025 को दिनांकित।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: कार्यकारी निदेशक (निगमित संप्रेषण), भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई।

ईमेल आईडी: ed_cc@licindia.com

हमें www.licindia.in पर विजिट करें।

हमें विश्वास है कि इस विज्ञप्ति में शामिल समाचार आपके पाठकों के लिए मूल्यवान हैं। हम आपको इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देंगे, हम यह भी समझते हैं कि ऐसा करने का निर्णय पूरी तरह से आपके पास है।